

Dear Sir/Madam,

We are pleased to invite you to participate in the **Request for Quotation (RFQ) for Transportation of of Milk and Milk products of Bundelkhand DUSS.**

RFQ Overview

- **Project Name: Transportation of of Milk and Milk products**
- **Tender Start Date & Time: 07 Apr 2026, 01:00 PM**
- **Tender Closing Date & Time: 13 Apr 2026, 6:00 PM**

Vendor Registration & Participation Process

Interested vendors are requested to email services@ncdfimarket.com at least **2 days prior to the bid closing date** with the following details:

- Company Name
- Contact Person Name
- Mobile Number
- Email ID
- NCDFI Registration Status (Yes/No)
- Registration link : <https://registration.ncdfimarket.com/>

The NCDFI eMarket team will provide necessary guidance regarding vendor registration and the bidding process.

Transaction Charges

NCDFI eMarket will deduct **transaction charges @ 0.3% (exclusive of GST)** from the successful bidder.

TDS Deduction

TDS u/s 194-O @ 0.1% will be deducted from the bidder's **EMD on the projected trade value** at the time of issuance of the Bid Evaluation Result.

Link for Bid Submission

☞ <https://events.ncdfimarket.com/bidder/>

EMD (Earnest Money Deposit) Details

- **EMD Amount: ₹ 1,00,000/-**
- **Payment Mode: NEFT / RTGS**
- **Account: NCDFI ICICI Escrow Account**
- **Account Details: Will be shared by NCDFI eMarket on the registered email ID**

Post-Payment Confirmation

After transferring the EMD, bidders must send an email confirmation to:

- vivek@ncdfimarket.com
- dhruv@ncdfimarket.com
- abhinav@ncdfimarket.com

EMD Confirmation Email Format:

Bidder Name	Amount Paid (₹) (In Figures & Words)	Bank Name	UTR No. & Date
[Company Name]			

⚠️ Important:

- The bid will be considered valid **only if the EMD amount is credited to NCDFI ICICI Escrow account on or before 12-04-2026 5 PM.**
- The RFQ will become visible to vendors **only after successful EMD deposit** into the NCDFI Escrow Account.

For Further Assistance

- **Shri Vivek Suthar:** +91 9978601585
- **Shri Dhruv Patel:** +91 9978603418
- **Shri Abhinav:** +91 8488831064

We look forward to your active participation.

Warm regards,
NCDFI eMarket Team

साँची दूध / दुग्ध
उत्पाद / घी / आईसक्रीम
परिवहनकर्ता चयन हेतु
—2026 ई—निविदा

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर
सागर डेयरी प्लांट, नरसिंहपुर रोड़, सिरोंजा, जिला सागर (म.प्र.) – 470004

साँची दूध / दुग्ध उत्पाद / घी / आईसक्रीम परिवहनकर्ता कार्य हेतु ई-निविदा

बुन्देलखण्ड दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत सागर-शाहगढ़, सागर-छतरपुर, सागर-मण्डीबामोरा, सागर-ललिपुर, सागर-चन्देरी, सागर-अशोकनगर, सागर-देवरी, सागर-राहतगढ़, सागर-टीकमगढ़, सागर-हाटा, सागर-पन्ना रूट पर साँची दूध / दुग्ध उत्पाद / घी / आईसक्रीम के परिवहनकर्ता कार्य हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

किसी भी अथवा समस्त निविदा को सकारण स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर के पास निहित होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

अनिवार्य तकनीकी अर्हताएं

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
सागर ।

महोदय,

बुन्देलखण्ड दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत डेयरी प्लांट से
..... मार्ग में साँची दूध/दुग्ध उत्पाद/घी/आईसक्रीम परिवहनकार्य हेतु दिनांक..... को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित ई-निविदा के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए हैं। यदि मेरी निविदा नियमानुसार स्वीकृत की जाती है तो मैं दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

स.क्र.	आवश्यक तकनीकी अर्हताएं	विवरण	अनिवार्य दस्तावेज
1	निविदाकार का नाम (फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व Joint venture फर्म)		निविदाकार का नाम (फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व/Joint venture फर्म) अंकित करे।
2	एकल स्वामित्व/भागीदारी/ Joint venture /कंपनी की ओर से निविदा भरने हेतु विधिक रूप से अधिकृत व्यक्ति/अधिकारी		एकल स्वामित्व/ कंपनी/Joint venture की ओर से निविदा में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकार पत्र/ मुखतारनामा की मूल प्रति जो नोटरी द्वारा सत्यापित व प्रमाणित हो। स्वामी/प्रोपाईटर द्वारा स्वयं निविदा भरने की स्थिति में आवश्यक नहीं है।
3	निविदाकार फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व/Joint venture फर्म के पंजीयन की प्रति संलग्न करें।		तदाशय के वैध पंजीयन की प्रति संलग्न करें।
4	निविदाकार दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद परिवहनकर्ता/वितरक सह-परिवहनकर्ता के रूप में किसी भी राज्य के दुग्ध संघ/दुग्ध महासंघ के साथ न्यूनतम 02 वर्ष का कार्यानुभव होना अनिवार्य होगा। सम्बन्धित महासंघ/दुग्ध संघ से अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें।		तदाशय के संबंधित संस्थाओं से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करना अनिवार्य हैं।
5	निविदाकार का पेन कार्ड ।		पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।

6	निविदाकार द्वारा पूर्ण रूप से भरा हुआ एवं सील साईन निविदा प्रपत्र क्र. 04 संलग्न करें।		पूर्ण रूप से भरा हुआ सील साईन प्रपत्र क्र. 04 मूल रूप से संलग्न करें।
7	<p>निविदाकार को :-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● एमपीसीडीएफ एवं संबद्ध किसी भी दुग्ध संघ तथा अन्य शासकीय/अशासकीय संस्था से कभी भी टर्मिनेट/ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया हो। ● किसी भी संस्थान द्वारा पुलिस थाने/मा.न्यायालय में निविदाकार के विरुद्ध कोई प्रकरण लंबित नहीं हों। ● एमपीसीडीएफ भोपाल एवं संबद्ध किसी भी दुग्ध संघों के अध्यक्ष, प्राधिकृत अधिकारी, संचालक मंडल के सदस्य, अधिकारी एवं कर्मचारी से किसी भी प्रकार का कोई रक्त/व्यवसायिक संबंध नहीं है एवं न ही आश्रित परिवार का सदस्य हो। 		तदाशय का संयुक्त शपथ पत्र रु 100/- के नोटराईज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें। इस हेतु शपथ पत्र का प्रारूप प्रपत्र 05 में संलग्न है।
8	उपलब्ध वाहन का प्रकार :		प्रपत्र क्र. 08 के तालिका में दर्शाए मार्ग के सम्मुख वाहन की क्षमता, वाहन मॉडल निर्माण/पंजीयन वर्ष 2026 के हो, उपलब्ध वाहन के पंजीयन की प्रति संलग्न करें अथवा नए वाहन लगाए जाने की दशा में रु 100/- के नोटराइज्ड (टिकट सहित) स्टॉम्प पर तदाशय का शपथ पत्र संलग्न करें। <u>शपथ पत्र का प्रारूप निविदा प्रपत्र के क्र. 06 में अवलोकन हेतु संलग्न है।</u>
9	निविदाकार दूध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहनकर्ता कार्य का वैध FSSAI लायसेंस /पंजीयन/आवेदन जीएसटी की प्रति संलग्न करें।		तदाशय के वैध लायसेंस/पंजीयन /आवेदन की छायाप्रति अनिवार्यतः संलग्न करें।

10	निविदाकार को ऑनलाईन पेमेंट द्वारा जमा की गई ई.एम.डी. राशि की रसीद लगाना अनिवार्य है।		ऑनलाईन पेमेंट द्वारा जमा की गई राशि रु. की रसीद संलग्न करें।
11	निविदाकार का वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के दौरान कुल ₹6.00 करोड़ का संचियत वार्षिक टर्नओवर होना आवश्यक होगा। निविदाकार को वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 का आयकर रिटर्न संलग्न करना अनिवार्य है।		तदाशय की चार्टर्ड अकाउन्टेंट (CA) प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें।
12	यदि MSME अंतर्गत पंजीकृत हैं तो पंजीयन की प्रति संलग्न करें।		केवल म.प्र. के MSME उद्यमियों को ई.एम. डी. राशि में छूट की पात्रता होगी अन्य किसी राज्यों के उद्यमियों को नहीं। इस हेतु MSME के प्रमाण की छायाप्रति संलग्न करें।

- नोट:- 1) उक्त समस्त दस्तावेजों की निविदाकार को स्वप्रमाणित प्रतियाँ ऑनलाईन रूप से स्कैन कर अपलोड/संलग्न करना अनिवार्य है।
- 2) उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज कम अथवा असत्य पाए जाने पर ऐसी निविदाएँ तकनीकी रूप से असफल एवं अमान्य घोषित होंगी।
- 3) केवल तकनीकी रूप से सफल निविदाकार की ही वित्तीय बिड खोली जायेंगी।

हस्ताक्षर _____

नाम :- _____

पता :- _____

टेलीफोन नं. _____

मोबाईल नं _____

ई-निविदा की आवश्यक नियम एवं शर्त :-

1. केवल एम.एस.एम.ई. उद्यमियों को ई.एम.डी. राशि में छूट में पात्रता होगी अन्य किसी भी राज्यों के उद्यमियों के लिए नहीं।
2. प्रतिभागी निविदाकार के पास प्रपत्र क्र. 08 में दर्शाए मार्ग विवरण में उल्लेखित वाहन की क्षमता एवं वाहन मॉडल का निर्माण एवं पंजीयन वर्ष विवरण में उल्लेखित अथवा इसके बाद के वर्षों के हो उपलब्ध होना अनिवार्य है। दूध के उचित प्रशीतन हेतु उत्कृष्ट गुणात्मक स्तर को बनाए रखने के लिए दूध वाहन में 04 इंच के पफ इंसूलेशन वाहन (प्रपत्र क्र.8 में उल्लिखित विशिष्टताओं (Specifications) के अनुसार ही होना आवश्यक होगा) का होना अनिवार्य है। स्वयं के नाम से नए वाहन लगाए जाने की दशा में एक माह की अवधि में उक्त वाहन संलग्न करेंगे।
3. सफल निविदाकार नए वाहन क्रय कर दुग्ध संघ में संलग्न करेंगे उन्हे 45 दिन (पैंतालीस दिन) की अवधि में दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित इंसूलेटेड वाहन तैयार कर (इंसूलेशन, तापमान एवं क्षमता) लगाना होगा। यदि कतिपय कारणों से नया वाहन एवं वाहन संबंधि समस्त वांछित दस्तावेज संलग्न करने में विलंब होता है तो ऐसी स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड दुग्ध संघ का निर्णय सर्वोपरी होगा।
4. निविदा स्वीकृति की स्थिति में सफल निविदाकार को दुग्ध संघ के साथ रु.1000/- के स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड कर अनुबंध निष्पादित करना होगा। अनुबंध प्रपत्र का प्रारूप अवलोकन हेतु प्रपत्र क्र.07 में संलग्न है।
5. सफल निविदाकार को निविदा स्वीकृति उपरांत सुरक्षा निधि राशि के रूप में 10 टन से अधिक क्षमता वाहनों हेतु ₹2.00 लाख प्रति वाहन एवं 10 टन से कम क्षमता वाहनों हेतु ₹1.50 लाख प्रति वाहन का RTGS/NEFT/डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जो कि पेयबल एट बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर के नाम से देय होगा, जमा करना अनिवार्य होगा। तदउपरांत ही कार्य आदेश जारी किया जावेगा। निविदा स्वीकृति उपरांत ईएमडी राशि का प्रतिभूति राशि में समायोजन होगा। जमा प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
6. सफल निविदाकार को निविदा स्वीकृति के उपरांत निर्धारित अवधि में ऑनलाइन जमा किए गए दस्तावेजों की मूलप्रति, प्रतिभूति राशि, वाहनो के समस्त वांछित दस्तावेज सत्यापन हेतु दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करना होंगे। नियत समय में दस्तावेज जमा न करने अथवा दस्तावेज असत्य/अवांछित होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड दुग्ध संघ द्वारा कार्य आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा।
7. यदि दो या दो से अधिक पात्र निविदाकारों द्वारा समान दरें प्रस्तुत की जाती है, तो निविदाकार का चयन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।
8. प्रतिभागी निविदाकार को दरें केवल ओर केवल ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी। भौतिक रूप से प्राप्त दरें अमान्य होंगी। प्रतिभागी निविदाकार द्वारा उद्धृत दरें लोडिंग, अनलोडिंग, टोल टैक्स, श्रमिक/मजदूरी शुल्क तथा अन्य सभी संबंधित/आकस्मिक व्ययों सहित होंगी। **भुगतान तरल दूध के प्रति लीटर के आधार पर किया जाएगा, परन्तु निविदाकार को इसके साथ दुग्ध उत्पाद भी ले जाने होंगे, जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।**
9. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को सकारण स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर के पास सुरक्षित होगा।
10. निविदा स्वीकृति के उपरांत परिवहनकर्ता की कार्य अवधि कार्य आरम्भ करने की दिनांक से 03 वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगी। दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता का कार्य तीन वर्ष की अवधि में

- संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक-एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जावेगी।
11. यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 के तहत प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। जिनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
 12. अनुबंधित अवधि में कार्यरत वाहन के ईंधन (डीजल) की दरों में जो भी वृद्धि/कमी होगी उसके अनुसार द्वितीय पक्ष की स्वीकृत परिवहन दरों में वृद्धि/कमी अनुपातिक दर से मान्य की जाकर भुगतान/वसूली की जावेगी। अनुबंध के समय कार्यरत वाहन में उपयोग ईंधन (डीजल) की दर को बेस रेट माना जाएगा।
 13. प्रतिभागी निविदाकार आवेदित मार्ग का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के उपरांत ही अपनी दरें समस्त व्यय (कर एवं टोल) सहित प्रस्तुत करेंगे। मार्ग का विवरण प्रपत्र क्र. 8 में उल्लेखित है।
 14. निविदा अवधि में अनुबंधित मार्गों पर नवीन टोल प्लाजा खुलने की स्थिति में अतिरिक्त टोल टैक्स का द्वितीय पक्ष द्वारा किये गये भुगतान का सत्यापन परिवहनकर्ता द्वारा संबंधित टोल कम्पनी से स्वयं करायेगे तथा विपणन शाखा के अधिकारी/कर्मचारी से सत्यापन होने के पश्चात् ही उक्त टोल टैक्स के भुगतान की कार्यवाही की जा सकेगी।
 15. निविदा प्राप्ति की तिथि व समय में अवकाश घोषित होने पर भी परिवर्तन नहीं होगा यदि निविदा तकनीकी बिड व फाइनेंशियल बिड खोलने के लिए निर्धारित तारीख को अवकाश घोषित किया जाता है, तो निविदाएं अगले कार्य दिवस पर पूर्व निर्धारित समय पर खोली जावेगी।
 16. निविदा प्रपत्र के साथ प्रतिभागी निविदाकार द्वारा दी गयी जानकारी यदि किसी भी समय असत्य प्रमाणित होती है तो ई.एम.डी. राशि राजसात एवं निविदा निरस्त की जाएगी साथ ही भविष्य की समस्त निविदाओं हेतु ब्लैक लिस्ट किया जावेगा।
 17. निविदाकार, निविदा के नियम एवं शर्तों को ध्यान से पढ़े एवं समझे एवं इसके उपरांत ही समस्त वांछित दस्तावेजों को स्वप्रमाणित करने के उपरांत स्कैन कर ऑनलाइन ही अपलोड करें। किसी भी दस्तावेजों में काट-छांट एवं ओवरराइटिंग न करें। निविदा केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार होगी। भौतिक रूप से प्राप्त निविदाएं अमान्य घोषित होंगी।
 18. सफल निविदाकार को निविदा की औपचारिकताएं एक माह की अवधि में पूर्ण करना होगा। यदि कतिपय कारणों से सफल निविदाकार द्वारा औपचारिकताएं पूरी करने में विलंब किया जाता है तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर का निर्णय सर्वोपरी होगा।
 19. प्रतिभागी निविदाकार निविदा में चाहे गये समस्त दस्तावेजों को स्वप्रमाणित कर संलग्न करें अन्यथा प्रत्येक दस्तावेज स्वप्रमाणित न पाये जाने की स्थिति में ऐसी निविदाओं को अमान्य किया जाएगा।
 20. निविदाकार निविदा में डीजल की दरों को दृष्टिगत रखते हुए परिवहन दरें प्रस्तुत करे अनुबंध अवधि में यदि सफल निविदाकार द्वारा निविदा की स्वीकृत दरों पर परिवहन कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो ऐसी स्थिति में संबंधित निविदाकार को आगामी निविदाओं के लिए अपात्र घोषित करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर के पास सुरक्षित रहेगा।
 21. निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में सफल निविदाकार को प्रपत्र क्र. 01 में मांगे गए आवश्यक अर्हताओं के अंतर्गत वांछित दस्तावेजों की छायाप्रति जो कि उसके द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत की गई थी, की मूलप्रतियाँ कार्य आदेश जारी करने के पूर्व दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कतिपय कारणों से दस्तावेजों की मूलप्रतियाँ प्रस्तुत नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय का निर्णय सर्वोपरी होगा।

22. प्रतिभागी निविदाकार यदि निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो वह ऑन लाइन निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व निविदा संबंधी वांछित जानकारी बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर के विपणन कार्यालय से प्राप्त कर सकता है।
23. निविदाकार द्वारा निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर पूर्ण निविदा प्रपत्र को ऑन लाईन जमा करना होगा। निविदा का कोई भी दस्तावेज भौतिक रूप से जमा नहीं किया जावेगा।
24. निविदाकार द्वारा रखी गयी कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी।
25. निविदाकार द्वारा वित्तीय बिड में ऑनलाईन दरें शब्दों तथा अंक दोनों में प्रस्तुत करी जाएं। यदि शब्दों तथा अंकों प्रस्तुत दरों में अंतर पाया जाता है तो शब्दों में प्रस्तुत दर को मान्य किया जाएगा।
26. वित्तीय बोलियां (financial bids) खोलने से पूर्व निविदा समिति द्वारा संबंधित मार्ग के लिए प्रति लीटर दरों का विश्लेषण किया जाएगा। उक्त विश्लेषण के आधार पर वित्तीय बोलियां खोले जाने के पश्चात मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को किसी भी या सभी बोलियों को बिना कोई कारण बताए पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकार या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा इस संबंध में लिया गया निर्णय सभी निविदाकर्ताओं पर अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

मेरे/हमारे द्वारा साँची दूध परिवहनकर्ता की निविदा एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ व समझ ली है तथा मैं/हम सभी शर्तों को मानने के लिये सहज तैयार हूँ/हैं। निविदा में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा निविदा में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिंदु क्रमांक 01 से 25 तक वर्णित शर्तों को पालन नहीं करता हूँ तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा मेरे/हमारे विरुद्ध लिया गया निर्णय सर्वोपरी होगा एवं मुझे/हमें मान्य होगा।

हस्ताक्षर
निविदाकर्ता का नाम एवं पता
(फर्म/कम्पनी/पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व/ज्वाइंट वेंचर)

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर
सागर डेयरी प्लांट, नरसिंहपुर रोड़, सिरोंजा, जिला सागर (म.प्र.) – 470004

प्रति ली. दर (समस्त व्ययों सहित) प्रस्तुत करने हेतु वित्तीय
बिड का प्रारूप
(केवल ऑनलाईन ही भरें)

क्र.	मार्ग का नाम	परिवहन दरें सभी कर सहित (अंको में) रू प्रति ली./कि.ग्रा.	परिवहन दरें सभी कर सहित (शब्दों में) रू प्रति ली./कि.ग्रा.
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

नोट:- निविदाकार को केवल ऑनलाईन दरें ही प्रस्तुत करनी होंगी। निविदाकर्ता ऑन लाइन दरें स्पष्ट रूप से भरें। अंकों एवं शब्दों में यदि किसी भी प्रकार की कोई भिन्नता पाई जाती है तो शब्दों में प्रस्तुत की गई दरों को मान्य किया जाएगा।

निविदाकार द्वारा उद्धृत दरें लोडिंग, अनलोडिंग, टोल टैक्स, श्रमिक/मजदूरी शुल्क तथा अन्य सभी संबंधित/आकस्मिक व्ययों सहित होंगी।

भुगतान तरल दूध के प्रति लीटर के आधार पर किया जाएगा, परन्तु निविदाकार को इसके साथ दुग्ध उत्पाद भी ले जाने होंगे, जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।

हस्ताक्षर
निविदाकर्ता का नाम एवं पता
(फर्म/कम्पनी/पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व/ज्वाइंट वेंचर)

- दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता निविदा हेतु दरों के आमंत्रण के संबंध में दुग्ध संघ स्तर पर परीक्षण कर प्रति कि.मी./प्रति ली./कि.ग्रा./प्रति ट्रिप दरें आमंत्रित की जा सकेंगी

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर
सागर डेयरी प्लांट, नरसिंहपुर रोड़, सिरोंजा, जिला सागर (म.प्र.) – 470004

निविदाकार की जानकारी

स्वयं का
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट
साईज फोटो
लगावें।

1. निविदाकर्ता का नाम
(फर्म/कम्पनी/पार्टनशिप फर्म/एकल स्वामित्व/ज्वाइंट वेंचर)
2. पिता/पति का नाम
3. स्थाई/वर्तमान पता
.....
.....
4. दूरभाष/मोबाईल नं.
5. ई-मेल एड्रेस
6. परिवहनकर्ता कार्य हेतु प्रस्तावित मार्ग का नाम
7. वर्तमान व्यवसाय (वर्तमान कार्य का विवरण अंकित करें)
.....
8. (अ) पेन नम्बर
- (ब) FSSAI
- (स) आधार कार्ड नम्बर.....
- (द) GST नम्बर.....
9. ऑनलाईन द्वारा भरी गई ई.एम.डी. का रसीद नंबर
(समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करें।)

मेरे द्वारा परिवहनकर्ता कार्य संबंधी इस निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ और समझ चुका/चुकी हूं और मान्य करता/करती हूं। इस हेतु मेरे द्वारा शर्तें हस्ताक्षरित कर फार्म के साथ संलग्न की है। आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है।

निविदाकार के हस्ताक्षर
नाम

टर्मिनेट/ब्लैक लिस्टेड नही होने, अनापराधिक रिकार्ड हेतु एवं संबंधित नही होने का शपथ पत्र का प्रारूप

केवल रु. 100/- के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें

मैं/हम आत्मज आयु..... निवासी..... यह कि मेरे/हमारे द्वारा डेयरी प्लांट से मार्ग में साँची दूध/दुग्ध उत्पाद/घी/आईसक्रीम परिवहनकर्ता कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत की गई है। यह कि मेरे/हमारे द्वारा यह शपथ पत्र अपने पूर्ण होशो हवास में मेरे/हमारे संज्ञान में प्रस्तुत किया जा रहा है।

1. यह कि मुझे/हमे किसी भी शासकीय/अशासकीय संस्था द्वारा कभी भी किसी भी कार्य से अद्यतन स्थिति तक टर्मिनेट/ब्लैक लिस्टेड नही किया गया है।
2. यह कि मेरा/हमारा अद्यतन स्थिति तक (संबद्ध दुग्ध संघ/कंपनी का नाम अंकित करें) द्वारा किसी भी पुलिस थाने/मा.न्यायालय किसी भी प्रकार का आपराधिक प्रकरण/वाद लंबित नही है।
3. मेरा/हमारा एमपीसीडीएफ भोपाल एवं संबद्ध किसी भी दुग्ध संघों के अध्यक्ष, प्राधिकृत अधिकारी, संचालक मंडल के सदस्य, अधिकारी एवं कर्मचारी से किसी भी प्रकार का कोई रक्त/व्यवसायिक संबंध नहीं है एवं न ही मैं आश्रित परिवार का सदस्य हूँ।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

1. गवाह	2. गवाह
नाम:-	नाम:-
पता:-	पता:-
आधारकार्ड नं.	आधारकार्ड नं.
मोबाइल नं.....	मोबाइल नं.....

इति दिनांक

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

नवीन वाहन उपलब्ध कराने हेतु शपथ पत्र का प्रारूप
केवल रू. 100/- के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें

मै/हम आत्मज आयु..... निवासी..... यह कि मेरे/हमारे द्वारा डेयरी प्लांट से मार्ग में परिवहनकर्ता कार्य हेतु ई-निविदा प्रस्तुत की गई है। यह कि यदि मेरी/हमारी निविदा नियमानुसार स्वीकृत होती है तो मै/हम दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित क्षमता, मॉडल एवं पंजीयन तथा तापमान के इंसूलेटेड/रेफ्रिजरेटेड वाहन 45 दिन (पैंतालीस दिन) के अंदर संलग्न कर दूंगा। इस हेतु मै/हम अपना शपथ पत्र निविदा की तकनीकी अर्हता के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ।

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

1. गवाह

नाम:-.....

पता:-

आधारकार्ड नं.

मोबाइल नं.....

2. गवाह

नाम:-.....

पता:-

आधारकार्ड नं.

मोबाइल नं.....

इति दिनांक

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

सत्यापन

मैं शपथग्राहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

परिवहनकर्ता कार्य हेतु अनुबंध का प्रारूप

यह अनुबंध दुग्ध संघ अपने व्यवसायिक हितों को ध्यान में रखते हुये आज दिनांक.....
 को प्रथम पक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित,
 जिन्हे आगे प्रथम पक्ष एवं श्री/मैसर्स जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष के नाम
 से संबोधित किया जावेगा के मध्य निष्पादित किया गया। इस अनुबंध के तहत निम्न शर्तों के अधीन
 दुग्ध संघ एवं परिवहनकर्ता कार्य संपादित करेंगे :-

द्वितीय पक्ष द्वारा बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, सागर के डेयरी प्लांट, सागर डेयरी
 प्लांट, नरसिंहपुर रोड, सिरोंजा, जिला सागर (म.प्र.) - 470004 से
 मार्ग के समस्त वितरण केन्द्रों तक दुग्ध पैकेटों एवं दुग्ध उत्पादों तथा दुग्ध वितरण केन्द्रों से
 खाली क्रेट दुग्ध संघ तक परिवहन करने के वास्ते अनुबंधित वाहन क्रमांक से
 प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित समय पर परिवहन हेतु ई-निविदा में प्रस्तुत किया है एवं प्रथम पक्ष ने
 इसमें आगे लिखे गये अनुबंध एवं शर्तों पर द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत ई-निविदा पर परिवहन दर
 रु. प्रति स्वीकार किया गया है।

1. यह अनुबंध विशुद्ध रूप से व्यावसायिक अनुबंध है तथा इसके तहत द्वितीय पक्ष को एक माह की पूर्व सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष का होगा। यदि द्वितीय पक्ष इस अनुबंध के तहत कार्य नहीं करना चाहता है तो, उसे प्रथम पक्ष को एक माह का लिखित अग्रिम नोटिस परिवहनकर्ता का कार्य छोड़ने बावत् देना होगा।
2. इस अनुबंध के संबंध में “परिवहन सुविधा” से आशय दूध एवं दुग्ध उत्पादों के परिवहन से होगा, जिसमें लोडिंग, अनलोडिंग, टोल टैक्स, श्रमिक/मजदूरी शुल्क तथा अन्य सभी संबंधित एवं आकस्मिक व्यय शामिल होंगे। इस संबंध में निर्धारित दरें उपरोक्त सभी व्ययों सहित मान्य होंगी तथा इसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
3. यह कि पैकड दूध व उत्पाद परिवहनकर्ता होने पर द्वितीय पक्ष निर्धारित मार्गों एवं स्थानों पर अपने इंसूलेटेड वाहन द्वारा वितरण करेगा। मार्ग, केन्द्र व निर्धारित समय एवं दूरी प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित की जावेगी एवं इसमें आवश्यकतानुसार समय-समय पर परिवर्तन किया जा सकेगा जो द्वितीय पक्ष पर बंधनकारी होगा एवं मार्ग की दूरी तथा केन्द्रों की संख्या घटाने या बढ़ाने एवं मार्ग का पुर्नगठन करने का अधिकार प्रथम पक्ष का होगा। यदि वाहन तय किलोमीटर से अधिक चलता है तो उसका भुगतान निविदा की स्वीकृत दर पर किया जायेगा।
4. यह कि द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित द्वारा विपणन अथवा विक्रय विस्तार की आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर परिपत्र / सूचना के माध्यम से सूचित किये जाने वाले विस्तार मार्गों पर भी द्वितीय पक्ष अपने उपयुक्त इंसूलेटेड /आच्छादित वाहनों की व्यवस्था करेगा। संघ द्वारा जिन अतिरिक्त मार्गों को “**Extension Route**” के रूप में निर्धारित किया जावेगा, उन मार्गों पर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना परिवहनकर्ता के लिए अनिवार्य एवं बंधनकारी होगा। उक्त विस्तार मार्गों पर संचालित परिवहन के लिए परिवहनकर्ता को देय दर का निर्धारण मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर द्वारा किया जावेगा, जिसका निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा। संघ की आवश्यकतानुसार विस्तार मार्गों के निर्धारण, परिवर्तन अथवा उनकी संख्या में वृद्धि या कमी के संबंध में भी अंतिम निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जावेगा, जो द्वितीय पक्ष पर पूर्णतः बंधनकारी होगा।
5. यह कि वितरण बिन्दुओं की संख्या को आवश्यकता अनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है, जिसका पूर्ण अधिकार बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, सागर के पास सुरक्षित

रहेगा। ऐसी स्थिति में द्वितीय पक्ष द्वारा आवश्यकता अनुसार परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेगी तथा संबंधित सभी सुविधाएं प्रदान करना द्वितीय पक्ष के लिए अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, संघ द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले किसी भी अतिरिक्त विपणन बिन्दुओं हेतु परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना भी द्वितीय पक्ष के लिए अनिवार्य होगा।

6. यह कि निविदा में स्वीकृत दरों पर वाहन चलाने संबंधी समस्त व्यय व दूध की क्रेट्स वाहन में लोड करने व मार्ग के विक्रय केन्द्रों पर चालान के अनुसार उतारने तथा निर्धारित समय में वितरण केन्द्रों से क्रेट/पैकेट व क्रेट आदि वापस लेकर बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, सागर डेयरी संयंत्र में चालान के अनुसार संघ द्वारा निर्धारित व्यक्ति को सौंपने के लिये श्रमिक का व्यय सम्मिलित होगा।
7. द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त कर्मचारी द्वारा जितनी क्रेट डेरी से प्राप्त की गई है, उतनी ही क्रेट डेरी संयंत्र में वापस कर रसीद प्राप्त करनी होगी। अन्यथा जितने क्रेट कम वापस किये जायेंगे, उतने क्रेटों की वर्तमान प्रचलित क्रेटों की दरों पर गणना कर उतनी कीमत की राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक में से काटी जावेगी।
8. विभिन्न विक्रय केन्द्रों पर प्रतिदिन मांग अनुसार दुग्ध पैकेट्स या दुग्ध उत्पादों की मात्रा द्वितीय पक्ष को चालान में दर्शाई गई मात्रा के अनुसार उतारना होगा एवं त्रुटि पाए जाने की दशा में समस्त जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की ही होगी एवं यदि दुग्ध पैकेट्स या दुग्ध उत्पादों की मात्रा में किसी प्रकार की कमी पाई गई तो कम मात्रा के समतुल्य राशि द्वितीय पक्ष से वसूल की जावेगी।
9. यह कि द्वितीय पक्ष इंसूलेटेड वाहन के साथ चलने वाले वाहन चालक नियुक्त कर्मचारियों के नाम फोटो सहित प्रस्तुत करेंगे। द्वितीय पक्ष द्वारा अधिकृत परिचालक, वाहन चालक संघ के वितरण स्थल पर वितरण शीट में वाहन आने के समय हस्ताक्षर करेगा। वितरण होने वाले दूध एवं दुग्ध उत्पाद के परिवहन के दौरान गाड़ी बिगड़ जाने/भारी बारीश/पुलिया के ऊपर पानी बहने/किसी भी प्रकार से मार्ग अवरुद्ध होने की दशा में द्वितीय पक्ष का दायित्व होगा कि वह दूसरी गाड़ी भेजकर/वैकल्पिक इंतजाम करके/वैकल्पिक मार्ग से दुग्ध वितरण समय पर सम्पन्न करें एवं 48 घंटे के भीतर संबंधित थाने से लिखित सूचना पत्र संघ के विपणन कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा दुग्ध वापसी की दशा में दुग्ध संघ को होने वाली हानि की भरपाई द्वितीय पक्ष के परिवहन देयको से कटौत्रा कर वसूल किया जायेगा।
10. कतिपय कारणों से अनुबंधित मार्ग अवरुद्ध होने पर वैकल्पिक मार्ग से अतिरिक्त कि.मी. का भुगतान अनुबंधित दर पर प्रथम पक्ष की स्वीकृती पश्चात् किया जा सकेगा। अतिरिक्त कि. मी. का सत्यापन प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित मापदण्डों अनुसार तय करने के उपरांत किया जाना संभव होगा।
11. यह कि वाहन की खराबी अथवा द्वितीय पक्ष की ओर से किसी भी प्रकार से वाहन के विलम्ब होने या दुर्घटना होने आदि की परिस्थिति में दूध खराब होने/दुग्ध वापस आने पर जो मूल्यांकित हानि होगी उसका सम्पूर्ण दायित्व द्वितीय पक्ष का रहेगा।
12. यह कि द्वितीय पक्ष हर माह में एक दिन कार्यालय में आकर उनके देयक से काटी जाने वाली राशि के संबंध में समाधान कर ले अन्यथा नियमानुसार राशि देयक से काट ली जायेगी जो द्वितीय पक्ष को मान्य करनी होगी। पंचनामा कटौत्रा योग्य राशि या अन्य कोई भी वसूली द्वितीय पक्ष के देयक से करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
13. यह कि द्वितीय पक्ष अपने वाहन से दूध व दूध के पैकेट्स एवं क्रेट भरकर उतनी मात्रा में ले जावेगे जितनी कि शीट चालान में दर्शाई गई है। यदि निर्धारित मात्रा से अधिक दूध/दुग्ध उत्पाद/घी/आईसक्रीम वाहन में पाया जाता है तो निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी :-
 - (a) वितरण वाहन की चैकिंग के दौरान यदि एक से उन्नीस नग तक अधिक पाये जाते हैं तो द्वितीय पक्ष से सामग्री की कीमत की पाँच गुना राशि का अर्थदण्ड वसूल की जावेगी।

- (b) उससे अधिक मात्रा पाये जाने पर सामग्री की कीमत का 20 गुना राशि का अर्थदण्ड द्वितीय पक्ष से वसूल किया जावेगा।
14. यह कि द्वितीय पक्ष के वाहन चालक, द्वितीय पक्ष के कर्मचारी वापसी में सभी क्रेट्स लायेंगे और दुग्ध चालान की प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार की काटा पीटी नहीं करेंगे एवं न ही दुग्ध की मात्रा स्वेच्छा से घटायेंगे/बढ़ायेंगे।
 15. द्वितीय पक्ष को क्रेटों का लेखा-जोखा स्वयं रखना होगा। कम क्रेट की वसूली हेतु आदेश पत्र द्वितीय पक्ष को दिया जावेगा। उस आदेश पत्र प्राप्ति के 6 दिवस के अंदर कम जमा की गई क्रेटे दुग्ध संघ में द्वितीय पक्ष को जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा बाजार में वर्तमान प्रचलित क्रेटों के मूल्य से गणना कर द्वितीय पक्ष के देयक से कम क्रेटों की राशि काट ली जावेगी।
 16. द्वितीय पक्ष खाली क्रेटों का लेखा-जोखा प्रत्येक माह का अगले माह की 5 तारीख को स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर शीघ्र निराकरण कर लेवे अन्यथा की स्थिति में प्रथम पक्ष द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के लिए द्वितीय पक्ष स्वयं उत्तरदायी होगा।
 17. दुग्ध संघ डेयरी डाक पर पैकेट में दूध क्रेट के माध्यम से देगा। जिसे निर्धारित समय में द्वितीय पक्ष को उठाना होगा। डेयरी डाक पर द्वितीय पक्ष छांट कर दूध का पैकेट लेगा एवं वितरकों को प्रदाय करेगा। वितरण के उपरांत विपणन विभाग की लिखित अनुमति उपरांत ही रिटर्न दूध/उत्पाद के पैकेट वापिस लिये जा सकेंगे।
 18. यह कि वितरण केन्द्र पर भेजे गये दुग्ध पैकेट्स एवं दुग्ध उत्पाद को द्वितीय पक्ष या उसके कर्मचारी किसी भी प्रकार से विक्रय नहीं करेंगे। ऐसा पाया गया तो विक्रय की गई सामग्री की कीमत से दुगनी कीमत अर्थदण्ड स्वरूप वसूल की जावेगी तथा पुनरावृत्ति होने पर निविदा निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
 19. यह कि द्वितीय पक्ष या द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त कर्मचारी आदि वितरण किये जाने वाले दूध एवं दुग्ध उत्पाद की मात्रा स्तर में किसी प्रकार की गड़बड़ी करेगा तो उसकी जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी तथा किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर यदि संघ की प्रयोगशाला में प्रथम दृष्टि में अपमिश्रित दूध की पुष्टि होती है तो द्वितीय पक्ष का कार्य आवंटन निरस्त करने एवं जमा प्रतिभूति राशि राजसात करने का पूर्ण अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
 20. यह कि द्वितीय पक्ष या द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त कर्मचारी कार्यालय में किसी कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार/अनुशासनहीनता नहीं करेगा। ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर प्रथम पक्ष द्वारा संबंधित कर्मचारी को कार्य से पृथक करने हेतु निर्देशित किया जाएगा, जिसका शत प्रतिशत पालन द्वितीय पक्ष को करना होगा अन्यथा की स्थिति में द्वितीय पक्ष का कार्य आवंटन निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि राजसात करते हुए ब्लेक लिस्ट करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
 21. यह कि बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ के सुरक्षा गार्ड द्वारा जांच करने की दशा में द्वितीय पक्ष के अटेंडेन्ट दुग्ध के क्रेट दुग्ध उत्पादों के कार्टून उठाकर निरीक्षण को सम्पन्न करावेगा। सुरक्षा गार्ड के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया जावेगा व उसके पूर्ण जांच किये जाने में सहयोग देंगे। शंका की स्थिति में संतोषप्रद जांच पड़ताल होने के पश्चात् ही वितरण वाहन डेरी से बाहर जाने दिया जावेगा।
 22. यह कि अधिकृत वाहन चालक एवं अटेंडेन्ट के अतिरिक्त किसी बाहरी व्यक्ति को गाड़ी के साथ नहीं लाया जावेगा। यदि एक से अधिक व्यक्ति गाड़ी में पाये गये तो द्वितीय पक्ष से रूपये 500/- (रूपये पांच सौ रूपये मात्र) प्रति व्यक्ति की दर से वसूल करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
 23. यदि द्वितीय पक्ष का वाहन खराब हो जाता है तो महाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक (विपणन) या विपणन मार्ग पर्यवेक्षक की लिखित अनुमति से अस्थाई रूप से वह दूसरी इंसूलेटेड वाहन की व्यवस्था करेगा। यह कि द्वितीय पक्ष का वाहन खराब होने पर जो अस्थाई व्यवस्था द्वितीय पक्ष करेगा उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी। जिसकी अधिकतम अवधि

दस (10) दिन की रहेगी। तत्पश्चात् अनुबंधित वाहन कार्य पर पुनः लगाना होगा। यदि 10 दिवस के उपरांत भी अनुबंधित वाहन ठीक न होने की दशा में अस्थाई वाहन की अवधि बढ़ाये जाने पर निर्णय लेने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय बुन्देलखण्ड दुग्ध संघ के पास निहित होगा।

24. यह कि यदि द्वितीय पक्ष, किसी भी कारणवश अनुबंधित वाहन से अनुबंध अवधि में वितरण कार्य निर्धारित समय पर नहीं कर पा रहा है एवं उक्त वाहन के स्थान पर समान क्षमता का इंसूलेटेड वाहन उपलब्ध कराकर दूध वितरण कार्य सम्पन्न कराना चाहता है तो द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष से अनुबंधित वाहन के स्थान पर अन्य इंसूलेटेड वाहन लगाए जाने के पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा ऐसा न करते पाए जाने पर तत्काल निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात कर ब्लैक लिस्ट करने अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
25. प्रथम पक्ष अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि की अनुमति के बिना द्वितीय पक्ष दुग्ध या दुग्ध क्रेट से भरी गाड़ी के साथ किसी भी बाहरी व्यक्तियों का या अन्य सामान को दुग्ध वाहन में लोड नहीं करेगा अन्यथा की स्थिति में द्वितीय पक्ष पर रु. 5000/- (पांच हजार रुपये मात्र) का अर्थदण्ड आरोपित किया जाएगा। बार-बार पुर्नरावृत्ति होने पर कार्य आवंटन निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
26. परिवहन देयकों का भुगतान माह में एक बार किया जावेगा, द्वितीय पक्ष को नियमित रूप से प्रत्येक माह की 05 तारीख तक देयक दुग्ध संघ में जमा कराना होगा जिसका भुगतान दुग्ध संघ द्वारा प्रत्येक माह की 15 तारीख तक किया जावेगा।
27. वाहन चालक एवं अटेन्डेंट द्वारा शीतकक्ष से दुग्ध के क्रेट प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी के निर्देशानुसार निकालेगा। अशुद्ध व्यवहार करने या आदेशों की अवहेलना करने पर महाप्रबंधक/प्रबंधक (संयंत्र संचालन)/प्रभारी डेयरी डाक विपणन द्वारा शिकायत करने पर दोषी कर्मचारी को द्वितीय पक्ष तत्काल प्रभाव से कार्य से पृथक करेगा।
28. यह अनुबंध तीन वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगा। इस अनुबंध की अवधि दिनांक सेतक (कुल तीन वर्ष) प्रभावशाली रहेंगी। दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता का कार्य तीन वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक-एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी।
29. द्वितीय पक्ष को अपना ठेका किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा और न उप परिवहनकर्ता नियुक्त कर सकेगा। यदि ऐसा पाया गया तो ठेका निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
30. डेरी की परिधि के अंदर आने वाले वाहन निर्धारित (20 कि.मी.) की अधिक गति से नहीं चलाए जावे और न डेरी की परिधि में वाहन की साफ सफाई की जावे। यदि ऐसा किया गया तो रुपये 500/- द्वितीय पक्ष पर जुर्माना किया जावेगा जो कि उसके परिवहन देयक से काटा जावेगा।
31. यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा।
32. यह कि अनुबंधित अवधि में कार्यरत वाहन में उपयोग ईंधन (डीजल) की दरों में जो भी वृद्धि/कमी होगी उसके अनुसार द्वितीय पक्ष की स्वीकृत परिवहन दरों में वृद्धि/कमी अनुपातिक दर से की जाकर भुगतान/वसूली प्रथम पक्ष की सहमती से की जा सकेगी। अनुबंध के समय कार्यरत वाहन में उपयोग ईंधन (डीजल) की दर प्रभावशील है।
33. भविष्य निधि अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत द्वितीय पक्ष द्वारा जिन कर्मचारियों की नियुक्ति की जावेगी तथा जिन कर्मचारियों से अनुबंधित दुग्ध वाहन पर कार्य लिया जावेगा उन कर्मचारियों की भविष्य निधि अधिनियम एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान अनुसार नियमित अंशदान की राशि संबंधित विभाग में नियमानुसार जमा करने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

34. निविदा अवधि में अनुबंधित मार्गों पर नवीन टोल खुलने की स्थिति में उक्त टोल टैक्स का भुगतान प्रथम पक्ष की सहमती से की जा सकेगी। इस हेतु द्वितीय पक्ष भुगतान किये गये टोल टैक्स संबंधित टोल कम्पनी से प्रमाणित करायेंगे तथा विपणन शाखा के अधिकारी/कर्मचारी से सत्यापन होने के पश्चात् ही उक्त टोल टैक्स के भुगतान की कार्यवाही की जा सकेगी।
35. यह कि द्वितीय पक्ष को अनुबंधित इंसुलेटेड वाहन की क्षमता से अधिक मांग होने पर पृथक से इंसुलेटेड वाहन की व्यवस्था कर मांग अनुसार दूध वितरण अनुबंधित दरो पर समय पर करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करते पाए जाने एवं दुग्ध संघ स्तर से वाहन व्यवस्था कर दूध वितरण करने की दशा में उस दिवस का जो भी व्यय प्रथम पक्ष वहन करेगा, का द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से कटौती किया जाएगा।
36. यह की द्वितीय पक्ष द्वारा दुग्ध वितरण के दौरान अनुबंधित वाहन में अन्य ब्रांडो का दुग्ध/क्रेट्स/पैकेट्स औचक निरीक्षण के दौरान पाये जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा प्रथम दृष्टया रु 10000/- का अर्थदण्ड द्वितीय पक्ष को अधिरोपित किया जाएगा। पुनरावृत्ति करते पाए जाने पर तत्काल निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात कर ब्लैक लिस्टेड की कार्यवाही की जाएगी।
37. द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करे कि उसके द्वारा निविदा अनुसार प्रस्तुत किए गए वांछित दस्तावेज एवं जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार से शिकायत प्राप्त होने पर जाँच की जावेगी, जाँच में शिकायत सही पाये जाने पर द्वितीय पक्ष की निविदा निरस्त किया जाकर, द्वितीय पक्ष को ब्लैक लिस्टेड कर प्रथम पक्ष के कार्यालय में जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही द्वितीय पक्ष की स्वयं की होगी।
38. निविदा प्रपत्र में उल्लेखित समस्त नियम एवं शर्तें तथा दुग्ध संघ द्वारा भविष्य में जारी किए जाने वाले पत्र परिपत्र भी इस अनुबंध का भाग मानी जाएंगे।
39. यह कि द्वितीय पक्ष की अनुबंध अवधि में मृत्यु हो जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए द्वितीय पक्ष द्वारा घोषित किये गए उत्तराधिकारी को नियमानुसार अनुबंध की समान शर्तों पर कार्य अनुबंध अवधि में जारी रखना होगा तथा उत्तराधिकारी समस्त लेनदारी एवं देनदारी हेतु जिम्मेदार होगा।
40. मार्ग के शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं को प्रथम पक्ष द्वारा जो भी सामग्री प्रदाय की जाएगी उसकी दैनिक मांग तथा प्रदायगी की प्राप्ति द्वितीय पक्ष द्वारा मासिक देयकों के साथ संलग्न कर प्रथम पक्ष को उपलब्ध कराने होंगे। यदि प्रथम पक्ष द्वारा प्रदायित मात्रा तथा संस्थाओं को प्राप्त मात्रा में कोई अंतर होता है तो अंतर की राशि का कटौती द्वितीय पक्ष के देयकों से किया जाएगा।

मैं आत्मज/पति/पत्नी..... परिवहनकर्ता मार्ग
अपना उत्तराधिकारी (नॉमिनी) श्री/श्रीमति..... को घोषित करता/ करती हूँ।

(द्वितीय पक्ष)

परिवहनकर्ता के हस्ताक्षर
 नाम.....
 पता.....

(प्रथम पक्ष)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 सह.दुग्ध संघ मर्या.

1. गवाह के हस्ताक्षर

नाम एवं पता:—.....

.....

प्रभारी (विपणन)

..... सह. दुग्ध संघ मर्या.

प्रति लीटर दर (समस्त व्ययों सहित) प्रस्तुत करने हेतु मार्ग का विवरण

मार्ग क्र.	मुख्य मार्ग	शटल मार्ग	कुल मार्ग दूरी (दोनों ओर सहित) शटल मार्ग सहित (कि.मी.)	मार्ग पर दैनिक विक्रय मात्रा (ली./कि.ग्रा. प्रति दिवस)	आवश्यक वाहन क्षमता (अनुमानित)	आवश्यक वाहन प्रकार	आवश्यक वाहन पंजीयन वर्ष अथवा इसके बाद
1	सागर - शाहगढ़	—	150	3200	5 टन	इंसुलेटेड	2026
2	सागर - छतरपुर	—	350	10000	12 टन	इंसुलेटेड	2026
	—	छतरपुर - खजुराहो	100				
	—	छतरपुर - नौगांव	50				
	—	छतरपुर - महोबा	110				
3	सागर - मंडीबामोरा	—	200	9450	10 टन	इंसुलेटेड	2026
4	सागर - ललितपुर	—	230	8950	10 टन	इंसुलेटेड	2026
	—	ललितपुर - झांसी	95	850			
5	सागर - चंदेरी	—	310	3450	5 टन	इंसुलेटेड	2026
6	सागर - अशोकनगर	—	360	14100	15 टन	इंसुलेटेड	2026
7	सागर - देवरी	—	140	3850	3 टन	इंसुलेटेड	2026
8	सागर - राहतगढ़	—	181	2500	3 टन	इंसुलेटेड	2026
9	सागर - टीकमगढ़	—	320	4050	7 टन	इंसुलेटेड	2026
10	सागर - हटा	—	215	1310	8 टन	इंसुलेटेड	2026
11	सागर - पन्ना	—	490	5050	5 टन	इंसुलेटेड	2026

मार्ग पर वर्तमान वितरण शहर/टाउन का विवरण

क्र.	मार्ग का नाम	वितरण बिन्दु	वर्तमान विक्रय मात्रा (ली./कि.ग्रा. प्रति दिवस)
1	सागर-शाहगढ़	करारपुर	150-200
		बांडा	1000-1200
		दलपतपुर	150-200
		रुरावन	50-100
		शाहगढ़	1300-1500
2	सागर-छतरपुर	बक्सवाहा	100-150
		बड़ामलहरा	1000-1200
		अंगौर	300-350
		छतरपुर	2000-2500
	छतरपुर-खजुराहो		-
		बागेश्वर	1500-1700
		बामीठा	100-150
		चन्द्रनगर	100-120
		खजुराहो	1600-2000
	छतरपुर-नौगांव		-
		नौगांव	2000-2200
	छतरपुर-महोबा		-
		गडिमलहरा	-
		श्रीनगर	150-200
	महोबा	500-700	
3	सागर-मण्डीबामोरा	नरयावली	72-100
		जरुआखेड़ा	300-350
		खुराई	2400-2700
		बीना	3500-3800
		कुरवाई	1000-1200
		मण्डीबामोरा	1200-1300
4	सागर-ललिपुर	पाली	100-150
		जाखलौन	200-300
		ललिपुर	7800-8500
	ललिपुर - झॉंसी	बार	30-40
		वाशी	100-150
		तालबेहट	50-100
		बबिाना	80-100
		झॉंसी	400-450
5	सागर-चन्देरी	बांदरी	400-500
		राजवास	50-100
		मालथोन	600-650
		चन्देरी	1900-2200
6	सागर-अशोकनगर	खिमलासा	300-400

		मुगावली	2500-3000
		अशोकनगर	8500-10000
		पिराई	500-700
7	सागर-देवरी	सुरखी	100-1500
		बिलेहरा	250-300
		गौरझामर	300-350
		रेहीली	400-500
		देवरी	100-1200
8	सागर-राहतवगढ़	सिहोरा	300-350
		जैसिनगर	300-350
		सुलतानगंज	500-600
		राहतवगढ़	1000-1200
9	सागर-टीकमगढ़	मडावरा	550-650
		महरोनी	1300-1500
		टीकमगढ़	1600-1900
		बलदेवहढ़	500-700
		बुदेरा	
		बडागांव	
		घुवारा	
		बानपुर	-
		निवाडी	500-700
		पृथ्वीपुर	-
		डिगोडा	-
10	सागर - हटा	पथरिया	400-450
		दमोह	2500-3000
		हिंदोरिया	250-350
		पटेरा	300-360
		हटा	1800-2400
11	सागर - पन्ना	अमानगंज	3000-3500
		सिमरिया	100-150
		हरदुआ	150-200
		पन्ना	900-1200

नोट: संघ द्वारा जिन अतिरिक्त मार्गों को “**Extension Route**” के रूप में निर्धारित किया जावेगा, उन मार्गों पर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना परिवहनकर्ता के लिए अनिवार्य एवं बंधनकारी होगा। उक्त विस्तार मार्गों पर संचालित परिवहन के लिए परिवहनकर्ता को देय दर का निर्धारण मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर द्वारा किया जावेगा, जिसका निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा। संघ की आवश्यकतानुसार विस्तार मार्गों के निर्धारण, परिवर्तन अथवा उनकी संख्या में वृद्धि या कमी के संबंध में भी अंतिम निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जावेगा, जो द्वितीय पक्ष पर पूर्णतः बंधनकारी होगा।

इन्सुलेटेड वाहन की तकनीकी विनिर्देश (Specification of Insulated Vehicle)

Sl. No.	Parameter	Specification
1	Outer Body	High-quality Mild Steel (MS) corrugated sheet panels, designed for structural strength, durability, and long service life
2	Insulation Material	High-density Polyurethane Foam (PUF) providing superior thermal insulation performance
3	Insulation Thickness	Uniform 100–125 mm thickness on all sides to ensure effective temperature retention
4	PUF Density	Minimum 40 kg/m ³ for optimal insulation efficiency and durability
5	Inner Lining	Food-grade, corrosion-resistant, hygienic, and easy-to-clean material such as SS 304 or GFRP, compliant with applicable food safety standards
6	Door Type	Double-leaf, fully openable, insulated doors of robust construction
7	Door Accessories	Heavy-duty hinges, rubber gasket sealing, and T-handle locking system ensuring airtight closure
8	Lighting	Vapour-proof and weather-proof LED lighting suitable for internal use
9	Dimensions	As per approved vehicle / chassis model and operational requirements
10	Surveillance System (CCTV)	360-degree camera to be mounted on the ceiling near the rear exit door to ensure complete interior monitoring
11	GPS & Monitoring System	Vehicle must be equipped with a GPS-enabled tracking and monitoring system for real-time location tracking and operational control

प्रति ली./कि.ग्रा. दर प्रस्तुत करने हेतु वित्तीय बिड का
प्रारूप (केवल ऑनलाईन ही भरें)

क्र.	मार्ग का नाम	शटल मार्ग	परिवहन दरें सभी कर सहित (अंको में) रू प्रति ली. /कि.ग्रा.	परिवहन दरें सभी कर सहित (शब्दों में) रू प्रति ली. /कि.ग्रा.
1	सागर - शाहगढ़	—		
2	सागर - छतरपुर	—		
	—	छतरपुर - खजुराहो	N.A	N.A
	—	छतरपुर - नौगांव	N.A.	N.A.
	—	छतरपुर - महोबा	N.A.	N.A.
3	सागर - मंडीबामोरा	—		
4	सागर - ललितपुर	—		
	—	ललितपुर - झांसी	N.A.	N.A.
5	सागर - चंदेरी	—		
6	सागर - अशोकनगर	—		
7	सागर - देवरी	—		
8	सागर - राहतगढ़	—		
9	सागर - टीकमगढ़	—		
10	सागर - हटा	—		
11	सागर - पन्ना	—		

टिप्पणी :

1. उपर्युक्त दरें समस्त व्यय, प्रभार, कर एवं अन्य देय शुल्क सहित होंगी।
2. मुख्य मार्ग में संबंधित सभी शटल मार्गों का वितरण कार्य सम्मिलित रहेगा।
3. संघ द्वारा समय-समय पर निर्धारित “**Extension Route**” पर द्वितीय पक्ष को अपने इन्सुलेटेड/आच्छादित वाहनों की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। इन मार्गों पर परिवहन हेतु दर का निर्धारण मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

**Format for Submission of Financial Bid for Quoting Rate
per Litre/Kg
(To be filled online only)**

Sr. No.	Route Name	Shuttle Route	Transport Rate (Inclusive of all taxes) (in figures) ₹ per Ltr./Kg	Transport Rate (Inclusive of all taxes) (in words) ₹ per Ltr./Kg
1	Sagar – Shahgarh	-		
2	Sagar – Chhatarpur	-		
		Chhatarpur – Khajuraho	N.A.	N.A.
		Chhatarpur – Nowgaon	N.A.	N.A.
		Chhatarpur – Mahoba	N.A.	N.A.
3	Sagar – Mandi Bamora	-		
4	Sagar – Lalitpur	-		
		Lalitpur – Jhansi	N.A.	N.A.
5	Sagar – Chanderi	-		
6	Sagar – Ashoknagar	-		
7	Sagar – Deori	-		
8	Sagar – Rahatgarh	-		
9	Sagar – Tikamgarh	-		
10	Sagar – Hatta	-		
11	Sagar – Panna	-		

Note:

1. The above-mentioned rates shall be inclusive of all applicable costs, charges, duties, and taxes.
2. The Main Route shall also include transportation and distribution services for all associated Shuttle Routes.
3. The second party shall be required to arrange suitable insulated/covered vehicles on the “Extension Routes” as determined by the Union from time to time. The transportation rates for such routes shall be decided by the Chief Executive Officer, and the decision shall be final and binding.

